न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-3961-II/14

शिवपाल तनय श्री रामकुमार लोधी
निवासी ग्राम कितपुरा तह. गौरिहार
जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/8/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ठकुर्रा स्थित भूमि खसरा क्र 1970/24ख रकवा 1.00 हे. क्रमशः भूमि पर निगरानीकर्ता के पूर्वजो एंव निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा भूमि के व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार गौरिहार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र 317/अ-19/86-87 पंजीबद्व कर दिनांक 17/7/87 को अपना विधि संमत् आदेश पारित कर निगरानीकर्ता के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि पर विगत 40 वर्ष से काबिज है तथा उसके द्वारा अत्याधिक धन व्यय कर व परिश्रम से भूमि को काबिल कास्त बनाया है परंतु अपर कलेक्टर द्वारा करीब 26 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् बिना किसी क्षेत्राधिकार के स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व कर दिनांक 19/8/14 को अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थतियों का विपरीत तरीके से उपयोग करतें हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

140
29-10-14

17-11-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3४6।-एक/2014 जिला छतरपुर

शिवपाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 180/स्वमेव निगरानी/अ-19/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-08-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 07/3/19 सदस्य	